Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में सहायक लेखाधिकारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *31 मार्च, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी, उपकोष कार्यालय रेलमगरा, जिला राजसमंद** को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी की पारिवारिक पेंशन के लंबित एरियर बिल को पास करने की एवज में आरोपी संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी, उपकोष कार्यालय रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मंशाराम** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी सहायक लेखाधिकारी को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक लेखाधिकारी द्वारा शिकायत से पूर्व ही परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**